न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

(1)

अनुमति वाद संख्या :– 91/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

दीपक मुण्डा – विक्रेता

महेश मुण्डा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
11.08.18	**आदेश**	

आवेदक दीपक मुण्डा पिता स्व0 एतवा मुण्डा ग्राम सेनेगुटू हितुटोला, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने महेश मुण्डा पिता स्व0 चन्द्रसहाय मुण्डा ग्राम भूत, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
सेनेगुटू	111	104	1498	0.10

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 021533 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 560 दिनांक 23.06.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मो0 रन्दाय मुण्डाईन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार चाड़ा मुण्डा वगैरह है। आवेदक के पास 18.64 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 18.54 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण दीपक मुण्डा पिता स्व0 एतवा मुण्डा को महेश मुण्डा पिता स्व0 चन्द्रसहाय मुण्डा के साथ ग्राम सेनेगुटू के खाता सं0 104 खेसरा संख्या 1498 का कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

11.08.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

11.08.18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।